रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-08052026-272332
CG-TL-E-08052026-272332

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2190] नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948
No. 2190] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

गुंटूर, 6 मई, 2026

का.आ .2281(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20एकी उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए(जिसे आगे उक्त अधिनियमकहा गया है),केंद्र सरकार,यह संतुष्ट होने पर कि अनुसूची में संलग्न भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, एक सार्वजनिक प्रयोजन हेतु,अर्थात् आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के पेदकूरपाडू जिले,पेदकूरपाडू स्टेशन यार्ड, पेदकूरपाडूग्राम सीमा के बीच 29/13-14 कि.मी.पर समपार सं.27 के स्थान पर सडक ऊपरी पुल के निर्माण (आर.ओ.बी) के लिए आवश्यक है, एतद्द्वारा ऐसी भूमि को अधिग्रहण का अपना आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (1) के अंतर्गत, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति, भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, सत्तेनपल्लीको लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप में अंकित किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, सत्तेनपल्लीआपत्ति करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अथवा कानूनी प्रैक्टिशनर के माध्यम से सुनबाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने बाली किसी भी अतिरिक्त जाँच के उपरांत, आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20D की उप-धारा (II) के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएँ एवं अन्य विवरणउपलब्ध है तथा इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका अवलोकन कर सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमियों का विवरणः आंध्र प्रदेश राज्य के पलनाडु जिले के पेदकूरपाडूजिला, पेदकूरपाडू स्टेशन यार्डऔरपेदकूरपाडूगाँवकीसीमाकेबीच, समपार सं.27 केस्थानपरसड़क ऊपरी पुल का निर्माण।

क्र.सं.	जिले का नाम	मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे लं. एवं उप मंडल	क्षेत्रफल एकड़ में	क्षेत्रफल हेक्टेयरमें	भूमी का वर्गीकरण (पट्टा/ सरकारी/ आवंटित)	भूमि की प्रकृति (गीली/सूखी)
1	पलनाडु	पेदकूरपाडू	पेदकूरपाडू	226-1	0.8	0.3237	सरकारी भूमी	बंजर
2				226-2	0.5	0.2023	पट्टा भूमी	सूखी
3				227-1	0.05	0.0202	पट्टा भूमी	सूखी
4				227-2	0.05	0.0202	सरकारी भूमी	बंजर
5				229-1	0.04	0.0161	पट्टा भूमी	सूखी
6				229-2	0.05	0.0202	पट्टा भूमी	सूखी
7				230-A1	0.56	0.2266	सरकारी भूमी	बंजर
8				230-A2	0.5	0.2023	पट्टा भूमी	सूखी
9				334-1A	0.49	0.1983	सरकारी भूमी	बंजर
10				334-1B	0.2	0.0809	सरकारी भूमी	बंजर
11				334-2A	0.3	0.1214	पट्टा भूमी	सूखी
12				334-2C	0.3	0.1214	पट्टा भूमी	सूखी
13				336	0.08	0.0323	सरकारी भूमी	बंजर
14				338/A-1	0.32	0.1295	सरकारी भूमी	बंजर
15				338/A-2	0.32	0.1295	सरकारी भूमी	बंजर
16				338/B-1	0.3	0.1214	सरकारी भूमी	बंजर
17				338/B-2	0.66	0.267	पट्टा भूमी	सूखी
18				339-A1	0.17	0.0687	सरकारी भूमी	बंजर
19				339-A2	0.92	0.3723	पट्टा भूमी	सूखी
20				339-B2	0.92	0.3723	पट्टा भूमी	सूखी
21				340	0.09	0.0364	सरकारी भूमी	बंजर
22				341-AB1	0.07	0.0238	सरकारी भूमी	बंजर
23				341-AB2	0.25	0.1011	पट्टा भूमी	सूखी
24				416-A1	0.2	0.0809	पट्टा भूमी	सूखी
25				416-A2	0.15	0.0607	सरकारी भूमी	बंजर

26				417-2A3	0.1	0.0404	पट्टा भूमी	सूखी
27				417-2A5	0.1	0.0404	पट्टा भूमी	सूखी
28				417-2A6	0.1	0.0404	सरकारी भूमी	बंजर
29				438/B-2	0.8	0.3237	सरकारी भूमी	बंजर
कुल					**9.39**	**3.8**		

[फा. सं. GS/Gazette/20A/LC.No.27/GNT-NDKD/GNT]

के.सैमन, मुख्य परियोजना प्रबंधक

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Guntur, the 6th May, 2026

S.O. 2281(E).— In exercise of Powers conferred by the Sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act) the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land the brief description of which is given in the Schedule annexed hereto, is required for construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of level crossing No.27 at KM 29/13-14 at Pedakurapadu Village limits, Pedakurapadu Station Yard, Pedakurapadu Mandal in Palnadu District of Andhra Pradesh hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under Sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Sattenapalli in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority and Revenue Divisional Officer, Sattenaplli shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under Sub-section (II) of Section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Description of land in acquisition: Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of level crossing No.27at Pedakurapadu Village limits, Pedakurapadu Station Yard, Pedakurapadu Mandal, in Palnadu District.

S.no	Name of the District	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey, sub no	Extent in Ac	Extent in hec	Land classification	Land nature
1	Palnadu	Pedakurapadu	Pedakurapadu	226-1	0.8	0.3237	Govt	Poramboke
2				226-2	0.5	0.2023	Patta	Dry
3				227-1	0.05	0.0202	Patta	Dry
4				227-2	0.05	0.0202	Govt	Poramboke
5				229-1	0.04	0.0161	Patta	Dry
6				229-2	0.05	0.0202	Patta	Dry
7				230-A1	0.56	0.2266	Govt	Poramboke
8				230-A2	0.5	0.2023	Patta	Dry

9				334-1A	0.49	0.1983	Govt	Poramboke
10				334-1B	0.2	0.0809	Govt	Poramboke
11				334-2A	0.3	0.1214	Patta	Dry
12				334-2C	0.3	0.1214	Patta	Dry
13				336	0.08	0.0323	Govt	Poramboke
14				338/A-1	0.32	0.1295	Govt	Poramboke
15				338/A-2	0.32	0.1295	Govt	Poramboke
16				338/B-1	0.3	0.1214	Govt	Poramboke
17				338/B-2	0.66	0.267	Patta	Dry
18				339-A1	0.17	0.0687	Govt	Poramboke
19				339-A2	0.92	0.3723	Patta	Dry
20				339-B2	0.92	0.3723	Patta	Dry
21				340	0.09	0.0364	Govt	Poramboke
22				341-AB1	0.07	0.0238	Govt	Poramboke
23				341-AB2	0.25	0.1011	Patta	Dry
24				416-A1	0.2	0.0809	Patta	Dry
25				416-A2	0.15	0.0607	Govt	Poramboke
26				417-2A3	0.1	0.0404	Patta	Dry
27				417-2A5	0.1	0.0404	Patta	Dry
28				417-2A6	0.1	0.0404	Govt	Poramboke
29				438/B-2	0.8	0.3237	Govt	Poramboke
Total					**9.39**	**3.8**		

[F. No. GS/Gazette/20A/LC.No.27/GNT-NDKD/GNT]

K. SIMON, Chief Project Manager

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA